संख्या: 89/2015/299/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीम□र-खीरी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 11 मार्च,2015

विषय: वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उ□र्युक्त विषय □र मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन□द लखीम□र-खीरी में न्यायिक □रिसर में अधिवक्ताओं के 66 चैम्बर्स निर्माण कार्य हेतु रू. 208.73 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है), की लागत □र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रू□ में रू. 104.36 लाख (रू□ये एक करोड़ चार लाख छत्तीस हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आ□के निवर्तन □र रखे जाने की, श्री राज्य□ाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिये कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी:-

1- स्वीकृत धनराशि का उ□योग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से □ूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य □रियोजना/ योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के □ूर्व स्थलीय निरीक्षण उ□रांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रू□ से भिन्न (Significanlty different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अ□ेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उ□लब्ध करायी जायेगी।

4- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

5- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलि□ संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

6- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उ□लब्ध करायी जायेगी।

7- □रियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक / □ाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि उ□लब्ध करायी जायेगी।

http://upsamvad.up.nic.in

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उ□लब्ध करायी जायेगी।

9- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से □ूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का □ूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार □र मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के □श्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सा□क्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्या□ित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

11- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

12- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उ□करणों का क्रय सुसंगत स्टोर □रचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा । कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरू□ गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से □ूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्□ □ार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अ□ेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

13- कार्य स्थल □र इसे त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला □ट्टिका / बो□ के रू□ में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

14- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से □ूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वी□ियोग्राफी भी करायी जाय।

15- स्वीकृत धनराशि के सा□क्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अ□ेक्षित विवरण उ□लब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी/ कार्यदायी संस्था का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।

16- कार्य से सृजित होने वाली □रिसम□त्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के □श्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित □रिसम□त्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

17- चैम्बर्स निर्माण तथा अन्य सुसंगत व्यवस्थाओं से संबंधित न्याय अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-1199/सात-न्याय-7-04-28बी.एस./2004 दिनॉक 06 सितम्बर, 2004 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रावधानों का कड़ाई से अनु□ालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- निर्माण के लिये कार्यदायी संस्था को धनराशि उ□लब्ध कराने से □ूर्व नि:शुल्क भूमि की उ□लब्धता तथा नियमानुसार राज्य के □क्ष में उसका हस्तांतरण सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

19- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारू□ □र उ□योगिता प्रमाण-□त्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उ□लब्ध कराया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनु□ालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://sansadhan.up.nic.in

2- उ□र्युक्त मद □र होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य □र □ूंजीगत □रिव्यय-आयोजनागत-60- अन्य भवन -800-अन्य व्यय -03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/ □ुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/तहसील स्तर □र अधिवक्ता/ वादकारी के लिये स्थायी ढ़ाँचे के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे □ाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा□ संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या: 89/2015/299(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलि□ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखा□रीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण / न्याय विभाग।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6-जन□द न्यायाधीश, खीरी।
7-मण□लायुक्त, लखनऊ ।
8-मुख्य विकास अधिकारी, खीरी।
9-प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटे□।
9-कोषाधिकारी, खीरी।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://khirisanadesh.up.nic.in